प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 19.05.2026

- **थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की सम्पत्ति बेचकर प्राप्त ₹14,400/- नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित अवैध तमन्चा कारतूस आदि बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 18.05.2026 को थाना रूरा पर वादी श्री उत्कर्ष शुक्ला उर्फ वैभव पुत्र श्री श्रवण कुमार शुक्ला निवासी बडी बिलहन, पोस्ट व थाना शिवराजपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा दिनांक 05.05.2026 को मोटरसाईकिल सवार दो चोरों द्वारा वादी की दादी के परिचित बनकर उनके कान के बाले चोरी कर भाग जाने तथा दिनांक 17.05.2026 को वादी द्वारा स्थानीय लोगों से जानकारी करने पर दोनों चोरों के नाम ज्ञात हो जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1. सोनू पुत्र अतर सिंह कंजड, 2. रितेश पुत्र अक्षय लाल कंजड निवासीगण गांधी नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया। दिनांक 19.05.2026 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए रात्रि गस्त/ चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र अतर सिंह कंजड 2. रितेश पुत्र अक्षय लाल कंजड निवासीगण गांधी नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को रूरा झींझक नहर पटरी पर बालाजी मन्दिर के पास से पीड़िता के कान के बाला बेचकर प्राप्त की गयी चोरी की सम्पत्ति ₹14400/- नगद, चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल ब्लैक अपाचे बिना नम्बर, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त सोनू पुत्र अतर सिंह कंजड निवासी गांधी नगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात से बरामद 01अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 315 बोर के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 146/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सोनू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण –

1. सोनू उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र अतर सिंह कंजड़ निवासी वार्ड नं0 11 गाँधीनगर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. रितेश उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र अच्छेलाल कंजड़ निवासी वार्ड नं. 11 गांधीनकर कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त सोनू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 146/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त रितेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 145/2026 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ– अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 05.05.2026 को हमें नहर पुल रूरा के पास एक बुजुर्ग महिला मिली । जिसके हम दोनों ने पैर छूकर झूठी रिश्तेदारी के तौर पर बुआ का रिश्ता बताकर अपनी बातों में बहला फुसला लिया और विश्वास में ले लिया था, फिर हम दोनों उसे अपनी मोटर साइकिल पर बीच में बैठाकर नहर कोठी की ओर ले गये थे और रितेश जो मोटर साइकिल पर पीछे बैठा था, ने चालाकी से उस महिला के कानों के दोनों सोने के बाले चोरी कर लिये थे और उस बूढी औरत को हम दोनों लोग नहर कोठी के पास छोडकर भाग गये थे। वह बाले उसी दिन शाम को ही हम दोनों लोगों ने एक फेरी वाले सुनार को अकबरपुर में बेच दिये थे। और पैसे हमने आपस में बांट लिये थे आपको जो पैसे हमसे बरामद हुए हैं वह उन्ही पैसो में से बचे हुए हैं बाकी पैसे हमने अपनी शौक मौज में खर्च कर लिये।

बरामदगी-

1. चोरी की सम्पत्ति बेचकर प्राप्त ₹ 14400/- नगद।
2. 01 मोटर साइकिल अपाचे रंग काला बिना नम्बर प्लेट (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)।
3. 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त सोनू से बरामद)।
4. जामातलाशी से प्राप्त 02 एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार
2. उ0नि0 श्री राजाराम
3. हे0का0 66 रामपाल
4. का0 884 सुधीर कुमार
5. रि0का0 94 सचिन कुमार
6. रि0का0 733 नितिन यादव